न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /06/2023

गिर्राज पुत्र नत्थी जाति खाती निवासी चक भांडौर नगला करनसिंह तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1–चन्दनसिंह पुत्र गिर्राज
2–तुहीराम
3–बालकिशन
4–रुपी
5–राधाबल्लभ } पुत्रगण डालू
6–अमरसिंह
7–बिज्जो
8–गुलाबसिंह } पुत्रगण भूपसिंह
9–हरिकिशन
10–रामवीर
11–महावीर } पुत्रगण किशनलाल
12–सोनवती पत्नी साहबसिंह
13–भुल्ली पुत्र हरीसिंह

} जाति गडरिया (गाडरी) निवासी नगला करनसिंह तहसील व जिला भरतपुर

..........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर दिनांक 28.01.87 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1011/87 ग्राम चक भांडौर तहसील भरतपुर

उपस्थितः–
1–श्री नीरपाल सिंह कुन्तल, अभिभाषक अपीलान्ट,

निर्णय

दिनांक 30–5–2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर आदेश दिनांक 28.01.87 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के गत खसरा नम्बर 202 रकवा 3 बीघा 6 विस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 169/0.45 में आये कम रकवा की कमी पूर्ती के आदेश दिये गये हैं। जिस से व्यथित होने से अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.02.23 को पेश की गई है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो. की तलवी जरिये रजिस्ट्रड डाक से की गई, रेस्पो. वावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की बहस इकतरफा में सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि भूप्रबन्ध विभाग ने अपीलान्ट के गत खसरा नम्बर 202 रकवा 3 बीघा 6 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 169/0.45 बनाया गया था, जिसमें गत रकवा के मुकाबले रकवा 0.52 ऐयर मिलना चाहिये था, जो गत रकवा के मुकाबले कम रकवा दिया गया है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थी ने भूप्रबन्ध विभाग तहत न्यायालय में रकवा कमी पूर्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में नया खसरा नम्बर 4 ऐयर का बना दिया वह गलत है जबकि नया नम्बर 11 ऐयर का बनाना चाहिये था। इस प्रकार गत रकवा के मुकाबले बनाये गये नये नम्बर में रकवा कम दर्ज किया गया है। अपीलान्ट ने गत रकवा के अनुसार हाल रकवा 52 ऐयर दर्ज किया जाना चाहिये। योग्य अभिभाषक ने अपील की देरी के सम्बन्ध में बताया कि अपीलाधीन आदेश की हल्का पटवारी से दिनांक 22.1.23 को जानकारी मिलने पर हुई तब जाकर नकल वगै. लेकर अपील पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील की देरी को माफ कर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रार्थी का रकवा 45 ऐयर के स्थान पर 52 ऐयर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। विचाराधीन अपील लगभग 27 साल बाद पेश की गई, म्याद प्रार्थना पत्र धारा 5 में अपीलान्ट का कथन है कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से हुई, अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में सम्बन्धित पटवारी का शपथ पत्र वगै. पेश नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 स्वीकार योग्य नहीं रहता है। हमने न्यायहित में प्रकरण की मैरिट पर विचार किया गया।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.1.1987 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में गत आराजी खसरा नम्बर 202 रकवा 3 बीघा 6 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 169/0.45 में गत के मुकाबले कम आये रकवा की पूर्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिस पर तहत न्यायालय ने रिपोर्ट भूमापक लेकर आदेश दिया है कि :–

> "…..गत खसरा नम्बर से हाल में बने मूल नम्बर का रकवा 169/0.41 रहेगा तथा जदीद नम्बर बनाया जाकर उसका रकवा 0.04 रखा जावे व प्रार्थी का इन्द्राज किया जावे……।"

उक्त आदेश के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह जाहिर है कि प्रार्थी को गत खसरा नम्बर के अनुसार रकवा कम आया है, यह बिन्दू भूमिधारी का जांच का विषय है। रकवा कमी पूर्ती के लिये विधि में पृथक से प्रावधान दिये गये हैं।

…….3

जिला कलक्टर
भरतपुर

रकवा कमी पूर्ती के लिये अपीलान्ट को विधि में दिये गये प्रावधान अनुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 30.5.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)